

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥, खंड ३, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 01/2022- संघ राज्य कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 31 मार्च, 2022

सा.का.नि. (अ) - संघ राज्य माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14), की धारा ७ की उप धारा (1) के तहत प्रदल्ल शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 710 (अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ॥, खड ३, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में

क. अनुसूची I में - 2.5%, क्रमांक 225ख, 226, 227, 228 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरस्त किया जाएगा;

ख. अनुसूची II में - 6%, क्रमांक 176क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्तः स्थापित किया जाएगा; यथा: -

"176 ख	6815	फ्लाई ऐश की ईटे या फ्लाई ऐश जिसमे कुल मिलाकर 90 प्रतिशत या इससे अधिक फ्लाई ऐश हो; फ्लाई ऐश ब्लॉक्स
176 ग	6901 00 10	सिलिकामय जीवाशमी अवचूर्ण या वैसी ही सिलिकामय मिटटी की ईटे
176 घ	6904 10 00	निमर्णी ईटे
176 झ	6905 10 00	फर्श की या छत की टाइले"

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2022 को लागू होगी।

[फा. सं 190354/56/2022-
टी.आर.यू]

(विक्रम विजय वानेरे)

अवर सचिव भारत सरकार

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.नि. 710(अ), दिनांक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i), में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 21/2021- संघ राज्य कर (दर), दिनांक 31 दिसंबर, 2021, जिसे सा.का.नि. 922(अ), दिनांक 31 दिसंबर, 2021, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।